In the court of A.C.J.M.-I, Udakishunganj

Udakishunganj P.S.Case No.- 346/2019

Date of order of proceeding		Office action with date
03/01/2024	सभी सात अभियुक्तों में से एक काराधीन अभियुक्त रामानंद महतों को कारा से सदेह उपस्थापित किया गया। पॉच अभियुक्तों 1. सिपाही महतों, 2. बबीता देवी, 3. गजेन्द्र महतों, 4. सदानंद महतों एवं 5. दरोगी महतों की ओर से हाजरी प्रविष्ट किया गया। शेष एक अभियुक्त षिषुपाल महतों की ओर से हाजरी एवं पूर्व के जमानत पर रहने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को हस्तगत कराया गया है। वाद पुकार पर अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अभियुक्त षिषुपाल महतों के विद्वान अधिवक्ता ने दाखिल आवेदन पत्र को प्रचालित करते हुए अनुरोध करते है आवेदक अभियुक्त षिषुपाल महतों को मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा कि. मिस. नं.–20505/2019 में दिनांक– 29.11.2021 को पारित आदेष के आलोक में जमानत प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में अभियुक्त षिषुपाल यादव द्वारा दिनांक–16.12.2021 को न्यायालय में जमानत बंध–पत्र दाखिल करने उपरांत जमानत पर मुक्त किया गया है। संज्ञानोपरांत आवेदक अभियुक्त षिषुपाल महतों की प्रथम उपस्थिति है। आवेदक अभियुक्त षिषुपाल महतों के जमानतदार जीवित है। अतः पूर्व के जमानत बंध–पत्र पर रहने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक आवेदक अभियुक्त को मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा कि.मिस. नं.–20505/2019 में दिनांक– 29.11.2021 को पारित आदेष के आलोक में जमानत प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में अभियुक्त षिषुपाल यादव द्वारा दिनांक– 16.12.2021 को न्यायालय में जमानत बंध–पत्र दाखिल करने उपरांत जमानत पर मुक्त किया गया है। संज्ञानोपरांत आवेदक अभियुक्त षिषुपाल महतों की प्रथम उपस्थिति है। संज्ञानोपरांत इनकी प्रथम उपस्थिति है। अतः आवेदक अभियुक्त षिषुपाल महतों को पूर्व के जमानत बंध–पत्र पर रहने की अनुमति दी जाती है। अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता को पुलिस कागजात के प्रतिलिपि की आपूर्ति की गयी। वाद में दिनांक–5.10.2023 को भा.द.वि. की धारा– 147/148/149/341/323/325/307/354/504 के	

	अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है, जिसमें से धारा– 307 भा.द.वि. मान्नीय सत्र् न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्तगण 1. सिपाही महतों, 2. बबीता देवी, 3. गजेन्द्र महतों, 4. सदानंद महतों 5. दरोगी महतो, 6. षिषुपाल महतों एवं 7. रामानन्द महतों का वाद श्रीमान् सत्र न्यायालय, मधेपुरा में दौड़ा सुपुर्द किया जाता है। दौड़ा सुपुदर्गी की अधिसूचना लोक अभियोजक को दी गई कार्यालय लिपिक संपूर्ण अभिलेख और प्रदर्ष जो भी हो दिनांक– 12.01.2024 के पूर्व सत्र् न्यायालय को भेजें। काराधीक्षक उदाकिषुनगंज को निर्देष दिया जा है कि वे काराधीन अभियुक्त रामानन्द महतो को सत्र न्यायालय, मधेपुरा के समक्ष निष्चित तिथि को प्रस्तुत करे। उवं अन्य छः जमानतीय अभियुक्तगण 1. सिपाही महतों, 2. बबीता देवी, 3. गजेन्द्र महतों, 4. सदानंद महतों एवं 5. दरोगी 6. षिषुपाल महतों को निदेष दिया जाता है कि वे सत्र् न्यायालय, मधेपुरा के समक्ष निर्धारित तिथि को उपस्थित रहें। लेखापित अ.मु.न्या.दंडा.–।	